रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 2019/फाल्गुन 9, 1940
No. 146] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2019/PHALGUNA 9, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 166(अ).—राष्ट्रपति, केंद्रीय सतर्कता आयोग (कर्मचारी) नियम 2007 के नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (ख) के साथ पठित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 (2003 का 45) की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सतर्कता आयोग (आशुलिपिक) भर्ती नियम 1975, केंद्रीय सतर्कता आयोग समूह 'ग' पद (कर्मचारी भर्ती) नियम 1977 को, जहां तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, स्टाफ कार ड्राइवर और डिस्पैच राइडर के पद से है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम 1988, उन बातों के सिवाए अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग में समूह 'ग' – पदों के लिए भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सतर्कता आयोग, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** – ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि –** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता -** यह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है। या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स स्तर**	**चयन पद या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. वरिष्ठ सचिवालय सहायक	20* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर 4	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और (ii) 25 प्रतिशत रिक्तियां कमीशन में कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए) के रूप में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स उस स्तर में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरी जाएगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रोन्नति: कमीशन में स्तर 2 में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के रूप में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।

<u>टिप्पण 1 :-</u> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

<u>टिप्पण 2 :</u>- ऐसा पदाधिकारी जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक श्रेणी पद अर्थात कनिष्ठ सचिवालय सहायक का पद धारण कर रहा है, कनिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में नियमित सेवा में पांच वर्ष पर प्रोन्नति के लिए विचार करने हेतु पात्र होगा।

प्रतिनियुक्ति :- केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(i) जिन्होंने नियमित आधार पद सदृश्य पर धारण किए हो या (ii) जिन्होंने कनिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में या वेतन मैट्रिक्स स्तर 2 के समतुल्य आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो

<u>टिप्पण</u> :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग में प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगें

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में	लागू नहीं होता ।

विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता आयोग **– अध्यक्ष** 2. केंद्रीय सतर्कता आयोग के दो अधिकारी जो अवर सचिव स्तर से नीचे के न हों **- सदस्य** 3. अवर सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग **– सदस्य**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए)	28* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर 2	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है।) **<u>टिप्पणी</u>** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता और (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की औसत से 10500 के डीपीएच/9000 के डीपीएच के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)

(8)	(9)	(10)
हां, स्तंभ 10 में उपबंधित विस्तार तक	दो वर्ष	(i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स स्तर 1 समूह 'ग' के ऐसे अधिकारियों में से जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो या समतुल्य अर्हता रखते हो और उस स्तर में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरी जाएगी। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50 वर्ष होगी) **टिप्पण :-** (i) यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक ने परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है तो कर्मचारियों की

		ऐसी अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा, ताकि पूर्वतर परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारी पर उनसे पहले जो बाद वाली परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर है पर विचार किया जा सकेगा। (ii) 5 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे बहु कार्य कर्मचारी वृंद (समूह 'ग') से जेष्ठता-सह-स्वस्थता के आधार पर भरी जाएगी जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 के साथ पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो:

(11)
जैसाकि स्तंभ 10 में कहां गया है

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, **– अध्यक्ष** केंद्रीय सतर्कता आयोग 2. केंद्रीय सतर्कता आयोग के दो अधिकारी जो अवर सचिव स्तर के नीचे के न हों **- सदस्य** 3. अवर सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग **– सदस्य**	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	15* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर 4	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है।) **<u>टिप्पणी</u>** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।	(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ii) कुशल परीक्षण सनियम प्रतिश्रुति : 10mts@w.p.m. अनुलिपिकरण : 50 मिनट (अंग्रेजी) या 65 मिनट (अंग्रेजी) या 65 मिनट (हिन्दी) कंप्यूटर पर

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण 1** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह ‘ ’ विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता आयोग **– अध्यक्ष** 2. केंद्रीय सतर्कता आयोग के दो अधिकारी जो अवर सचिव स्तर के नीचे के न हों **- सदस्य** 3. अवर सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग **– सदस्य**	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी – I)	01* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘ग’, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 5	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

(11)
प्रोन्नति :- (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 के ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर जिसने छह वर्ष नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 2) और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) से सम्मिलित 15 वर्ष सेवा की हो ।

(ii) सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण किया हो	
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता आयोग – **अध्यक्ष** 2. केंद्रीय सतर्कता आयोग के दो अधिकारी जो अवर सचिव स्तर के नीचे के न हों – **सदस्य** 3. अवर सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – **सदस्य**	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-2)	02* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 4	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

(11)
प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में ऐसा स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) जिसने श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की हो

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता आयोग – **अध्यक्ष** 2. केंद्रीय सतर्कता आयोग के दो अधिकारी जो अवर सचिव स्तर के नीचे के न हों – **सदस्य** 3. अवर सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग– **सदस्य**	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	02* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 2	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच* (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। * यदि सीधे खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती की जाए, आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।	**आवश्यक** (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य (ii) मोटर कारों के लिए कोई विधिमान्य चालन अनुज्ञाप्ति होना। (iii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (या अभ्यर्थी को छोटी-मोटी त्रुटियों को दूर करने के लिए समर्थ होना चाहिए) (iv) सरकारी कार्यालय/पब्लिक सेक्टर उपक्रम / कानूनी / स्वायत संगठन / मान्यता प्राप्त संस्थान में मोटर कार के चालन में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव **वांछनीय** – होमगार्ड या सिविल स्वयं सेवक का तीन वर्ष का अनुभव **टिप्पण** :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए समक्ष प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति /आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन :- ऐसे नियमित डिस्पैच राइडर (समूह ग) और केंद्रीय सतर्कता आयोग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 के कर्मचारी में से जो मोटर कार चालन का निर्धारित योग्यता के चालन परीक्षण के आधार पर मोटर कार चालन के लिए विधि मान्य

अनुज्ञप्ति रखते हों, जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के मंत्रालय में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर का पद या नियमित आधार या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 के समूह 'ग' कर्मचारी का पद धारण करते हैं और जो स्तंभ 7 में विहित की गई आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों। **प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन :-** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताए हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख में उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाना है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता आयोग **– अध्यक्ष** 2. केंद्रीय सतर्कता आयोग के दो अधिकारी जो अवर सचिव स्तर के नीचे के न हों **– सदस्य** 3. अवर सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग **– सदस्य**	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. डिस्पैच राइडर	1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 2	अचयन	25* वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य (ii) मोटर कारों/मोटर साइकिल/आटो रिक्शा के लिए विधिमान्य अनुज्ञाप्ति रखता हो। (iii) सरकारी कार्यालय/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ कानूनी या स्वशासी संगठनों या मान्यता प्राप्त संस्थान में मोटर कारों/मोटर साईकिल/ओटो रिक्शा चालन में दो वर्ष का अनुभव (iv) मोटर कारों/मोटर साईकिल/ऑटो रिक्शा मोटर यंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए)

					रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख को रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। * यदि सीधे खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती की जाए, आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।	(v) अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ने की योग्यता हो **वांछनीय** – होमगार्ड / सिविल रक्षा स्वयं सेवी के रूप में अनुभव **टिप्पण** :- अनुभव संबंधी सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति /आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भूर्तपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन

(11)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन :- केंद्रीय सतर्कता आयोग में नियमित बहुकार्य कर्मचारी वृंद (एम.टी.एस.) कर्मचारियों में से जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय से नियमित डिस्पैच राइडर/बहु कार्य कर्मचारी वृंद (एम.टी.एस.) कर्मचारियों से जिनके पास स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित की गई अर्हता और अनुभव हो । **भूर्तपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन** :- सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताए हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्ति किया जाना है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता आयोग **– अध्यक्ष** 2. केंद्रीय सतर्कता आयोग के दो अधिकारी जो अवर सचिव स्तर के नीचे के न हों **– सदस्य** 3. अवर सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग **– सदस्य**	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. बहु कार्य कर्मचारी वृंद (एम.टी.एस.)	73* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 1	लागू नहीं होता	आयु 18 और 25 वर्ष के बीच * **टिप्पणी** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। * यदि सीधे खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती की जाए, आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता आयोग – **अध्यक्ष** 2. केंद्रीय सतर्कता आयोग के दो अधिकारी जो अवर सचिव स्तर के नीचे के न हों - **सदस्य** 3. अवर सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – **सदस्य**	लागू नहीं होता

[फा. सं. 399/10/2015-एवीडी-III]

लोक रंजन, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2019

G.S.R.. 166(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003) read with clause (b) of sub-rule (1) of rule 4 of the Central Vigilance Commission (Staff) Rules, 2007 and in supersession of the Central Vigilance Commission (Stenographers) Recruitment Rules 1975, the Central Vigilance Commission Group C posts (Recruitment of Staff) Rules, 1977, in so far as it relates to the posts of Upper Division

Clerk, Lower Division Clerk, Staff Car Driver and Dispatch Rider, and the Central Vigilance Commission (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1988 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts in the Central Vigilance Commission, namely:-

1. Short title and commencement –

(1) These rules may be called the Central Vigilance Commission, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts specified in the column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of posts, their classification and the level in pay matrix attached there to shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, and other qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications - No person –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to any of the said post. Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-Service personnel and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or Non-selection post**	**Age Limit for direct recruits**
1	2	3	4	5	6
1. Senior Secretariat Assistant	20* (2019) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, Ministerial	Level 4	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) Seventy-five per-cent by promotion failing which by deputation; and (ii) twenty-five per-cent of the vacancies shall be filled from amongst Junior Secretariat Assistant (JSA) in the Commission who have rendered five years of regular service in the level in pay Matrix on the basis of Limited Departmental Competitive Examination conducted by Staff Selection Commission.

In case of recruitment by promotion / deputation /absorption, levels from which promotion / deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: Junior Secretariat Assistant (JSA) with eight years of regular service in the Commission in the level 2- **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite service by more than half of such qualifying /eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** Official holding the feeder grade post i.e. Junior Secretariat Assistant on regular basis on the date of notification of these rules shall be eligible for consideration for promotion on five years of regular service in Junior Secretariat Assistant grade. **Deputation:** Officers of the Central Government (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with eight years regular service in the grade of Junior Secretariat Assistant (JSA) or equivalent in level 2 in the pay matrix. **Note -** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Group 'C' Departmental promotion Committee for considering promotion, consisting of :- (i) Director/ Deputy Secretary/Officer on Special Duty, Central Vigilance Commission - **Chairman** (ii) two officers of the Central Vigilance Commission not below the status of Under Secretary - **Member** (iii) Under Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training **– Member.**	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
2. Junior Secretariat Assistant (JSA)	28 * (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level 2	Non-selection	Between 18 and 27 years of age (relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission

7	8	9	10
(i) 12th Class Pass or equivalent qualification from a recognized Board or University; and (ii) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500KDPH/9000KDPH on an average of 05 Key depressions for each word)	Yes, to the extent indicated in Column 10	Two Years.	(i) Eighty five percent by direct recruitment through Staff Selection Commission (SSC); and (ii) ten percent of the vacancies shall be filled from amongst the Group C Staff in level 1 of pay Matrix and who possess 12th Class Pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the level, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the Schedule Caste / Schedule Tribes) Note:- If more than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) five percent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Multi-Tasking Staff (Group C) who have three years regular service in posts with the level 1 of the pay Matrix.

11	12	13
As stated in column 10	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation, consisting of :- i) Director/ Deputy Secretary/Officer on Special Duty, Central Vigilance Commission - Chairman ii) two officers of the Central Vigilance Commission not below the status of Under Secretary - Member iii) Under Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training – Member.	Not Applicable

1	2	3	4	5	6
3. Stenographer Grade 'D'	15* (2019) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level 4	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age (relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.

7	8	9	10
(i) 12th Class Pass or equivalent qualification from a recognized Board or University; and (ii) Skill Test norms Dictation: 10mts@80w.p.m. 50mts.(Eng.) or 65mts.(Hindi) (On computer).	Not applicable.	Two Years.	Direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for the duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column 7.

11	12	13
Not applicable.	Group 'C' Departmental promotion Committee for considering confirmation, consisting of :- (i) Director/ Deputy Secretary/Officer on Special Duty, Central Vigilance Commission -Chairman (ii) two officers of the Central Vigilance Commission not below the status of Under Secretary - Member (iii) Under Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training – Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
4. Staff Car Driver (Grade I)	1* (2019) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5	Non-selection.	Not applicable.

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

11	12	13
Promotion: (i) Staff Car Driver (Grade II) in level 4 of the pay Matrix with six years of regular service in the level or combined service of fifteen years in Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade); (ii) have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental promotion Committee for considering promotion, consisting of :- i) Director/ Deputy Secretary/Officer on Special Duty, Central Vigilance Commission -Chairman ii) two officers of the Central Vigilance Commission not below the status of Under Secretary- Member iii) Under Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training – Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
5. Staff Car Driver (Grade II)	2* (2019) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4	Non-selection.	Not applicable.

7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion.

11	12	13
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 of the pay Matrix with nine years of regular service in the level and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental promotion Committee for considering promotion, consisting of :- i) Director/ Deputy Secretary/Officer on Special Duty, Central Vigilance Commission –Chairman ii) two officers of the Central Vigilance Commission not below the status of Under Secretary - Member iii) Under Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training – Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
6. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	2* (2019) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial	Level 2	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age* (relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. *If the direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.

7	8	9	10
Essential: (i) pass in 10th Standard or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Possession of a valid driving license for motor cars, (iii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle), (iv) experience of driving a motor car for at least three years in a Government Office/ PSU/Statutory / Autonomous Organizations/ Recognized Institution Desirable: Three years' service as Home Guard / Civil Volunteers. **Note:** The qualification(s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidate belonging to Schedule Castes / Schedule Tribes, if, at any stage of selection the SSC is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two Years	Deputation / absorption failing which by direct recruitment.

11	12	13
Deputation or absorption: From amongst the regular Despatch Rider (Group C) and Group C employee in level 1 in the pay matrix in the Central Vigilance Commission who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group C employees level 1 in the Pay Matrix in the Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column 7. **Deputation or re-employment:** The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.	Group 'C' Departmental promotion Committee for considering confirmation, consisting of :- i) Director/ Deputy Secretary/Officer on Special Duty, Central Vigilance Commission - Chairman ii) two officers of the Central Vigilance Commission not below the status of Under Secretary- Member iii) Under Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training – Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6
7. Despatch Rider	1* (2019) * Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial	Level 2	Non-selection.	Not exceeding 25 years* (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by central Government). Note: The crucial date of determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment Exchanges are asked to submit the names. *If the direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.

7	8	9	10
Essential: (i) pass in the 10th Standard or equivalent from a recognised Board; (ii) Possession of a valid driving licence for motor cars / motor cycle/auto rickshaw; (iii) two years experience in driving motor cars/ motor cycle/ auto rickshaw in a Government Office/ PSU/Statutory or Autonomous Organisations or recognized Institution;	Not applicable	Two years for direct recruits.	Deputation / absorption failing which by direct recruitment. For Ex-servicemen – Deputation/re-employment

(iv) knowledge of motor cars/ motor cycle/ auto rickshaw mechanism (The incumbent should be able to repair minor defects in the vehicles); and (v) ability to read English and Hindi; **Desirable:** Experience as Home Guards/ Civil Defence Volunteers. **Notes:-** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes / Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

11	12	13
Deputation or absorption: From amongst regular Multi Tasking Staff (MTS) employees in the Central Vigilance Commission failing which from regular Despatch Riders/ Multi Tasking Staff (MTS) employees from other Ministries of the Central Government who possess the qualification and experience prescribed for direct recruits in column 7. **For Ex-Servicemen deputation or re-employment:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and educational qualification prescribed for direct recruits shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces: thereafter they may be continued on re-employment. **Note:-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	Group 'C' Departmental promotion Committee for considering promotion, consisting of :- i) Director/ Deputy Secretary/Officer on Special Duty, Central Vigilance Commission - Chairman ii) two officers of the CVC not below the status of Under Secretary - Member iii) Under Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training – Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6
8. Multi-Tasking Staff (MTS)	73* (2019) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial	Level 1	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age* **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. *If the direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.

7	8	9	10
Pass in the 10th Standard or equivalent from a recognised Board or University.	Not applicable.	Two Years.	Direct recruitment through Staff Selection Commission.

11	12	13
Not applicable.	Group 'C' Departmental promotion Committee for considering confirmation, consisting of:- i) Director/ Deputy Secretary/Officer on Special Duty, Central Vigilance Commission –Chairman ii) two officers of the Central Vigilance Commission not below the status of Under Secretary - Member iii) Under Secretary (Vigilance), Department of Personnel & Training – Member.	Not applicable.

[F. No. 399/10/2015-AVD-III]

LOK RANJAN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.05 22:32:15 +05'30'